International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 35, Issue 02 and Publication Date: 22nd April, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

घरेलू हिंसा के सामाजिक पहलू: एक अध्ययन

कंचन कुमारी[1] और डॉ0 बिमला कुमारी[2]

[1]शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग बी.एन.एम.यू. मधेपुरा ,बिहार

[2]विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग बी.एन.एम.यू. मधेपुरा ,बिहार

सार

महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक जीवन में घरेलू हिंसा उतना ही प्राचीन है जितना की हमारा समाज। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी शिक्षित एवं अशिक्षित समाजों में यह लम्बे समय से होता आ रहा है। यह एक सार्वभौमिक घटना है, ऐसा कोई भी धर्म, जाति, गांव, शहर, देश या राष्ट्र नहीं जहाँ किसी महिला पर सामाजिक कुरीतियों, परम्परओं, एवं परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रहार न किया गया हो। ''जहाँ महिला मानवता का निर्माण करती है वहीं हिंसा विनाश करती है साधारणतया महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सृष्टिकर्ता का विनाश है''।[1] हिंसा मुक्त जीवन सभी का मानवाधिकार है, लिंग, प्रजाति, जाति, वर्ग और धर्म, इन सभी प्रकार के सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुये भी सामाजिक न्याय एवम् मानवाधिकार सभी के लिये समान है। यदि महिलाओं के सन्दर्भ में मानवाधिकार पर एक दृष्टि डाला जाय तो लाखों की संख्या मे आज भी महिलायें एवम् युवतियां प्रतिदिन लिंगगत् हिंसा का सामना कर रही है। भौतिकवादी आधुनिक युग में लोगों के रहन–सहन, खान–पान के तौर–तरीके एवं विचारों में मूल रूप से परिवर्तन आया है परन्तु यह परिवर्तन महिलाओं का दमन एवम् उन पर शासन करने सम्बंधी विचारों में पूर्ण रूप से नहीं आ पाया हे इसके विपरित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के तरीको में बदलाव अवश्य आया है भेदभाव की यह वैश्विक संस्कृति महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार को दिन–प्रतिदिन बढ़ावा देती जा रही है परिणाम स्वरूप आज भी समाज में महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिये

हर कदम पर संघर्ष पड़ रहा हे और इस संघर्ष में कभी–कभी हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है।

विस्तार

हिंसा का तात्पर्य किसी के विरूद्ध शक्ति के दुरूप्योग से है। स्पष्ट रूप से कहा जाय तो ''हिंसा'' सामाजिक स्थिति का गत्यात्मक शक्ति में अवस्थित होना है। जिसे हम हिंसा कहते है वह कोई साधारण आक्रामक्ता या हानि नहीं जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर किया जाता है अपितु यह सही ढ़ंग से किया जाने वाला शक्ति का दुरूपयोग है।[2] इंसाइक्लोपिडिया आफ क्राइम एण्ड जस्टिस के अनुसार हिंसा का तात्पर्य सामान्यतः उन सभी प्रकार के व्यवहार से है जिसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति का नाश, व्यक्तिगत चोट या मृत्यु हो सकता है, चाहे व्यवहार मौखिक हो या वास्तविक।[3]

चैम्बर्स 28वीं शताब्दि शब्द कोषानुसार हिंसा बल का अत्यधिक अनियत्रित एवं अन्याय पूर्ण उपयोग है। अत्याचार एवं बलात्कार भी हिंसा का ही रूप है। किसी को दण्ड स्वरूप शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचाना हिंसा का सार हे। वैधानिक आधार पर हिंसा व्यक्ति या समूह विशेष का अंत करपे या उसे नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से उपयोग में लाये जाने वाला अवैधनिक यंत्रा है।[4] कॉलिन्स शब्द कोष के अनुसार हिंसा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः 1– वह व्यवहार जिसका पर्याय व्यक्ति को मारना या चोट पहुँचना है, 2– कुछ भी करने के लिये शक्ति का अत्यधिक उपयोग करना, प्रायः इसलिए क्योंकि आप बहुत क्रोधित है, 3–शाब्दिक, क्रियात्मक या ऐसी ही अन्य आलोचनात्मक या विधवंशक व्यवहार की अभिव्यक्ति।[5]

हिंसा शब्द बड़ा व्यापक हे और इसके कई अर्थ निकाले जा सकते है। लड़कियों के संदर्भ में इसे उनके यौन शोषण और घरेलू हिंसा से जोड़कर जांचा जाना चाहिए। साधारण शब्दो में कहा जाये तो, महिलाओं के प्रति हिंसा

वह अपराधिक गतिविधि है, जो शारीरिक शक्ति का अवैधानिक उपयोग करने के साथ ही सामाजिक संरचना में शोषण, भेदभाव, आर्थिक असमानता की निरंतरता हेतु भय एवं आतंक का वातावरण बनाये रखने में सहयोग देता है। संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा के अनुसार ''महिलाओं के प्रति हिंसा पुरूष एवं महिला के मध्य उस ऐतिहासिक असमान शक्ति सम्बंध की अभिव्यक्ति है जो कि पुरूषों द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने का मार्ग दर्शाती है और महिलाओ की उन्नति के मार्ग में बाध उत्पन्न करती है''।[6] कुछ विद्वान हिंसा को हानिकारक एवं विध्वंसक व्यवहार के रूप में परिभाषित करते है जो कि पीड़ित को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नष्ट कर देती है। महिलाओं की प्रस्थिति पर बने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने परिभाषित करते हुए बताया कि ''लिंग पर आधारित किसी भी प्रकार की हिंसात्मक क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप महिला को शारीरिक, लैंगिक या मनोवैज्ञानिक क्षति होती है महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्तर्गत आता है।[7]

''महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव खत्म करने वाले कन्वेंशन में हिंसा को परिभाषित करते हुये कहा गया है कि–महिलाओं के साथ हिंसा अर्थात् लिंग के आधार पर कोई भी ऐसी क्रिया जिससे शारीरिक, यौन या मानसिक हानि पहुँचाति हो, ऐसे कार्य जो औरतों की आज़ादी पर हमला करते हो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है (अनुछेद 1)। इसी कन्वेंशन के अनुछेद 2 में उल्लेख है कि महिलाओं के साथ हिंसा को निम्नलिखित अर्थो में समझा जायेगा लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं रहेंग''–

- शारीरिक, यौन एवं मानसिक हिंसा, जो परिवार में की जाती है जिसमें मार–पीट, घर की लड़कियों का यौन शोषण, दहेज संबंधी हिंसा, पति द्वारा बलात्कार, यौन प्रताड़ना एवं शोषण से सम्बंधित हिंसा शामिल है।

- समुदाय में शारीरिक, यौन एवं मानसिक हिंसा जो बलात्कार, छेड़–छाड़, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार, शैक्षणिक संस्थाओं में खराब व्यवहार, औरतों और लड़कियों की खरीद–पुरोख्त एवं बलात् वेश्यावृत्ति कराने से उत्पन्न होती है।
- शारीरिक, यौन एवं मानसिक हिंसा, जिसे राज्य की मौन स्वीकृति प्राप्त होती है।[8]

कान्ता भाटी के कथनानुसार – समाज के सदस्यों द्वारा महिलाओ को मन, वचन, कर्म से पीड़ा पहुँचाना, उनके साथ क्रुरता का व्यवहार करना, उनकी उपेक्षा करना, यौन शोषण करना, यातनायें देना, बलात्कार करना, मारना–पीटना, मादा–भ्रूण हत्या के लिए यातनायें देना और हत्या कर देना इत्यादि हिंसायें महिलाओं के विरूद्ध हिंसा कहलायेंगी।[9] संक्षेप में कहे तो 'हिंसा शक्ति का एक प्रबल, अतिश्य अनियंत्रित, गैर कानूनी या अन्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग है। हिंसा के अर्न्तगत बल का प्रयोग दण्ड स्वरूप चोट पहुँचाने, किसी व्यक्ति या वस्तु पर कुछ लोगों द्वार दुर्व्यवहार, प्रायः उसे व्यक्ति गत या सामुहिक रूप से मृत्यु तक पहुँचाना है। इस प्रकार से किसी को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या मनो वैज्ञानिक चोंट पहुँचाकर दण्ड देना हिंसा का सार है। यह सभी प्रकार के शोषण का समावेश है।''[10]

जहाँ एक ओर महिलाओं पर हिंसा करने की प्रवृति में बदलाव आ रहा है वही दूसरी ओर सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर हिंसा की बाधा को पार करते हुये महिलायें प्रत्येक स्तर पर अपनी प्रतिभा एवं कार्य कुशलता के बल पर पुरूषों के सामने एक चुनौती बनकर उभर रही है। आज महिलायें न केवल परिवार की अपितु देश की आर्थिक गति विधियों में सह भागिता दे रही हैं। देश में 70 का दशक महिला कल्याण का, 80 का दशक महिला विकास का रहा और 90 के दशक को महिला सशक्तिकरण के नारे के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।''महिला सशक्तिकरण'' से तात्पर्य है– स्थिति में बदलाव का मतलब

उन सब ढ़ाँचों में बदलाव जो औरत को द्वितीय श्रेणी में रखते है। समान अवसर और निर्णय लेने के अवसर पर महिलाओं एवं पुरूषों को अपने विचारों को प्रकट करने का समान अधिकार से भी महिला सशक्तिकरण सम्बंधित है। दरअसल ''महिला सशक्तिकरण'' शब्द के अनेक अर्थ के समान इसके विभिन्न पर्याय भी है जैसे की ''महिलाओ ंके लिये लैंगिक समानता'', ''महिलाओं का आधुनिकी करण'' और ''महिला सशक्ति करण'' भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को ''महिला सशक्ति करण वर्ष'' घोषित कर दिया गया है। सन् 2001 के जनगणना आंकड़े से ज्ञात है कि देश की आधे से ज्यादा 54.16 प्रतिशत महिलायें साक्षर हो चुकी है और उनकी दशकीय साक्षरता वृद्धि दर पुरूषों के मुकाबले ज्यादा (पुरूष 11.77 प्रतिशत जबकि महिला 14.7 प्रतिशत) रही हैं देश की बड़ी राजनैतिक पार्टी की मुखिया महिला है, देश की राष्ट्रपति महिला है, लोकसभा स्पीकर भी महिला रह चुकी है इतना ही नही राज्यों में महिलायें सफलता पूर्वक शासन सम्भाल रहीं है। पंचायती राज्य व्यवस्था में भी 10 लाख से ज्यादा महिलायें किसी न किसी पद पर निर्वाचित होकर काम कर रही है लेकिन इन सबके बावजूद वर्चस्व और सशक्तिकरण की लड़ाई में महिलायें पुरूषों से काफी पीछे हैं। शक्ति संपन्न और नेतृत्व प्रदान करने वाली महिलायें अजूबे की तरह हमारे देश में खबर बनती है परन्तु हिंसा व घरेलू हिंसा का दुश्चक्र उनकी प्रतिभा, निणर्य शक्ति और क्षमताओं को प्रभावित करता है जिससे महिलाओं का विकास प्रभावित होता है। सशक्तिकरण को हिंसा व असमानता से लड़ने के औजार के रूप में देखा जा रहा है। यह पुरूष प्रधन वादी मानसिकता को चुनौती है। अनेक संघर्षो, अनुभवों को लेकर महिलायें आगे आ रही है, वह अपनी गरिमा व अधिकारों के प्रति जागृत हुयी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में महिलायें प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। उपलब्धियों का आँकड़ा महत्वपूर्ण है किन्तु यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इक्कीसवीं सदी के मुहाने पर खड़ी भारतीय

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 35, Issue 02 and Publication Date: 22nd April, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

महिलाओं को परिवार एवं समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाया, जिसकी वह अधिकारिणी है।

समाज में महिलाओं एवं युवतियों के साथ हिंसा कहीं भी– रास्ते पर, घर में, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्थानों पर अजनबियों या परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। महिलाओं के साथ सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर होने वाले शारीरिक एवं मानसिक शोषण अथवा हिंसा के अनेक स्वरूप है परन्तु इन सब में घरेलू हिंसा सर्वाधिक घृणित एवं शर्मनाक अपराध की श्रेणी में आता है। समाजिक संस्था के रूप में परिवार ही वह स्थान है जहां महिलायें स्वयं को सर्वाधिक सुरक्षित मानती है परन्तु कुछ कुकृत्यों के कारण स्वर्ग लगने वाला घर उनके लिए नरक बन जाता है और वह स्वयं को उस घर में सर्वाधिक असुरक्षित महसूस करने लगती है। वैश्वीकरण एवं कट्टर वादित ने भी घरेलू हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलायें उपयोग एवं दिखावे की वस्तु जा रही है। संचार माध्यमों ने इसके स्वरूप को और अधिक विकृत किया है। औरतों की जागरूकता, सशक्तिकरण एवं वर्चस्व से पुरूषों को ठेस लगी है, इस कारण वह और ज्यादा हिंसक व्यवहार करने लगे है इतना ही नहीं सदियों से महिलाओं को ही महिलाओं के खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा है। परिवार ही वह कार्यस्थल है जहाँ महिलाओं के श्रम का भी सर्वाधिक शोषण होता है और जहाँ पुरूषों को अपनी शक्ति का प्रचण्ड रूप दिखाने का मुक्त अवसर भी प्राप्त होता है।

घरेलू हिंसा मूलभूत रूप से, किसी भी उम्र कि महिला का[11], चाहे वह बालिका हो, अविवाहित हो या विवाहित, वृद्ध महिला हो या विधवा, साथ ही वह महिला जिसका साथ रह रहे पुरूष से विवाह के समान सम्बंध हो परन्तु वह उसकी पत्नी न हो अर्थात् जो लिव इन रिलेशन में है, वह हिंसात्मक उत्पीड़न है जो परिवार की सीमाओं के भीतर, सामाल्यतः साथ रह रहे पुरूष या जिससे स्त्री का विवाह होता है और वह परिवार जिससे विवाह के पश्चात् रिश्तों का निर्माण होता है, के द्वारा किया जाता है। हिंसा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 35, Issue 02 and Publication Date: 22nd April, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

दोनों प्रकार का होता है। धमकी या आक्रामक व्यवहार के रूप में परिलक्षित घरेलू हिंसा न केवल पीड़िता के शारीरिक अस्तित्व अपितु उनके आत्म–सम्मान एव आत्म–विश्वास के विरूद्ध परिणित होता है। घरेलू हिंसा अवधाणात्मक रूप से वह हिंसा है जिसे घनिष्ट साथी या संबंधी विभिन्न प्रकार के शारीरिक, यौनिक, आर्थिक एवं आत्मिक दुर्व्यवहार द्वारा दूसरे, सामान्यतया महिला साथी या संबंधी, पर काबू रखने, वर्चस्व स्थापित करने व उसे अपमानित करने हेतु उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा उन सभी व्यक्तिगत आक्रामक व्यवहार को अपने में समेटे हुये है जिसका मुख्य उद्देश्य साथी या संबंधित व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण को बनाये रखना है।[12] राष्ट्रीय शोध परिषद् 1993 में घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुये कहा गया कि ''घरेलू हिंसा एक निकट सम्बंधी द्वारा अन्य को हानि या चोट की अनुपयुक्ता से अभिप्रेरित है। समाज वैज्ञानिक गिडिन्स (1989 : 417) का यह मानना है कि हिंसा की दृष्टि से घर सर्वाधिक खतरनाक स्थान है, सांख्यिकीय दृष्टि से किसी भी आयु एवं यौन के व्यक्ति पर सड़कों की तुलना में घर में शारीरिक प्रताड़नाओं की आवृत्ति अधिक होती है।[13] समाजशास्त्रीय अध्ययन वह दर्शाता है कि हिंसात्मक क्रिया का तात्पर्य पीड़िता के विचारों, भावनाओं एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखने से है। आवश्यक आवश्यकताओं को अस्वीकार करना, बच्चों से सम्बधित मामलों में भावनात्मक रूप से परेशान करने के अतिरिक्त मातृत्व–गृह से निकाल देने की धमकी भी घरेलू हिंसा है, सामान्यतः इसमें महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकार को अस्वीकार किया जाता है। हिंसात्मक दुर्व्यवहार का उपयोग व्यक्ति अपनी नियंत्रण शक्ति, सत्ता एवं भय की स्थिति को बनाये रखने के उद्देश्य से करता है। यद्यपि महिला एवं पुरूष दोनों ही प्रताड़ना का शिकार होते है लेकिन अधिकतर मामलों में महिलायें ही पीड़िता होती है। विश्व के कई भागों के अध्ययन यह प्रदर्शित करते है कि प्रायः घरेलू हिंसा पुरूष द्वारा उन महिलाओं पर होता है जो उनकी यौन साझेदार होती है। हम में से अत्यधिक लोगों के जीवन के अनुभव एवं घरेलू हिंसा की घटना से यह तथ्य सामने आया है कि,

अधिकतर महिलायें ही हिंसा का सामना करतीं है और पुरूष उत्पीड़न करते है। कई शोध अध्ययन यह दर्शाते है कि 90 से 97 प्रतिशत घरेलू हिंसा पुरूषों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध किया जाता है। प्रताड़ित करने वाला महिला का पति, प्रेमी, दोस्त, साथी, बेटा, पिता, भाई, चाचा, मामा या कोई भी अन्य निकट पारिवारिक सदस्य हो सकता है जिससे इस बात की सत्यता परिलक्षित हो रही है कि वह परिवार जहाँ महिला का जन्म होता है वहाँ के रिश्ते भी उसे पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे है। महिला हेल्पलाइन की काऊँसलर सारिका मिश्रा ने भी बताया कि महिला हेल्पलाइन में पहले की अपेक्षा कॉलेज गोइंग गर्ल्स के कॉल्स ज्यादा आ रहे है। जिसमें घरेलू उत्पीड़न व मोबाइल पर ब्लैंक कॉल्स की शिकायत अधिक होती है (दैनिक जागरण आई नेकस्ट, 17 नवम्बर 2008)।

उपसंहार

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, ''घरेलू हिंसा का अभिप्राय समान गृह में निवास करने वाले सदस्यों, मुख्यतः घनिष्ट सम्बंधियों के मध्य होने वाली हिंसा या एक पारिवारिक सदस्य दूसरे सदस्य के विरूद्ध प्रहार या अन्य हिंसात्मक क्रिया से है''।[14] 1996 में यूनाइटेड नेशन्स की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर विचार भिव्यक्ति के मुख्य अवसर पर राध कुमारस्वामी ने मानधिकार आयोग को घरेलू हिंसाके वृतान्त पर केन्द्रित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में उन्होंने घरेलू हिंसा को निजी क्षेत्र में कानून के जरिये या व्यक्तिगत रूप से घनिष्ट सम्बंधी आमतौर पर रक्त सम्बन्धियों के मध्य घटित होने वाली हिंसा के रूप में परिभाषित किया है। जिसमें दुष्कर्मी निजी व राज्य कर्ता दोनों ही कार्यक्षेत्र से हो सकता है।

—: संदर्भ :—

1. Awasthy; Abha, Introductory letter of seminar on “Violence against Women” in Lucknow Univesity, 1992.

2. Ahuja; Ram, “Violence against Women” Rawat publications, Jaipur, 1998.
3. Encyclopaedia of Crime and Justice, Vol-4, pp. 1618-19
4. Sinha; Niroj, “Women and Violence” Vikas publishing, New Delhi, 1989.
5. Kudchedkar; shrin and sabiha Al-Issa, “Violence against Women: Women against Violence”, Pencraft International publication, Delhi, 1998. Pp. 13
6. The United Nation Declaration on the Elimination of of Voilence against Women, General Assembly Resolution, December 1993.
7. Mohanty; Bedabati, “Violece against Women; An Analysis of Contemporary Realities”, Kanishka publishers, Distributors, New Delhi, 2005. P.17
8. Dutta, Nilima; Domestic violence tolerating the intolerabl Lawyers collective, January 1999, pp. 4-9, at p.4
9. भाटी कान्ता, ''महिला उत्पीड़न–दहेज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या'' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
10. Kapur; Promilla, “Girl Child and Family Violence” Har Anand publications, New Delhi, 1993 p.4
11. इण्डियन पैनल कोड़ (1860) सेक्सन 10
12. Jaffe; p.g. Lemon n.k.d., and Pisson, S.E. “Child Custoday and Domestic Violence: A Call for Safety and Account ability, U.K., London 2003.
13. सामाजिक, खण्ड–11 मार्च, 2002
14. Balck’s law dictioinary. VIIth Ed., 1999, p. 1564